कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांकः—व—15(84)आरपीए/जन/तरल केन्टीन/19/3433 दिनांकः— 15/04/2021

निविदा सूचना

इस संस्था परिसर में लगभग 250 से 750 प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टाफ के लिये तरल केन्टीन को ठेके पर दिये जाने हेतु अनुभवी इच्छुक ठेकेदारों से सीलबन्द लिफाफे में निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में 200/— रू0 डी.डी. या बैंकर्स चैक जमा करवा कर इस संस्थान से प्राप्त किये जा सकते है। भरी हुई निविदाऐं दिनांक 19.04.2021 **को 3.00** बजे दोपहर तक इस कार्यालय में जमा कराई जा सकेगी तथा प्राप्त निविदाऐं सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा फार्म के साथ वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ. वित्त/जीएण्डटी—एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना अनिवार्य है। समस्त शर्तो आदि का विवरण निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

Rajeev 15/4/21

अति.महानिदेशक पुलिस,
एवं निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
2. सहायक निदेशक, आउटडोर/इण्डोर, आर.पी.ए. जयपुर।
3. लेखाधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
4. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को निविदा सूचना को आरपीए जयपुर की वेबसाईट एवं sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर डालने हेतु।
5. आर.आई. (प्रशासन)/ कैशियर आर.पी.ए. जयपुर।

Rajeev

अति.महानिदेशक पुलिस,
एवं निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

निविदा शुल्क 200/-रूपये
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि -
19.09.2020समय 3.00 बजे मध्यान्ह तक

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर।

निविदा प्रारूप

(देखिए नियम 68)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवम् जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन न. ....

2. तरल केन्टीन का मासिक शुल्क (ठेका राशि) ....

3. वस्तुओ का नाम जो कमेटी द्वारा तय की गई अनुमोदित दरें निम्नानुसार होगी, जो निविदा दाता प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को मध्य नजर रखते हुये अंकित करेगें :-

क्र.सं.	सामग्री का नाम	अधिकतम दर
1.	चाय (100 ml) (प्रति कप)	5/-
2.	कॉफी (100 ml) (प्रति कप)	10/-
3.	दाना / बेसन लड्डू (प्रति किलो)	240/-280/-
4.	मावे की मिठाई (प्रति किलो)	300/-
5.	दूध मीठा प्रति गिलास (250 मि.ग्रा), प्रति गिलास	15/-
6.	दही (प्रति किलो)	80/- or MRP (if Packed)
7.	नमकीन (बीकानेरी) (प्रति 400 ग्राम) नमकीन (बीकानेरी) (प्रति 50 ग्राम)	64/- or MRP (if Packed) 10/- or MRP (if Packed)
8.	सेंडविच (प्रति नग) कचौरी (प्रति नग) समोसा (प्रति नग) ब्रेड पकौड़ा सादा/पनीर (प्रति नग) मिर्ची बड़ा (100 gm) (प्रति नग)	25/- 18/10/- 10/- 12/18 12/-
9.	कोल्ड ड्रिंक (200 ml)	10/- MRP
10.	बेकरी बिस्कूट, (प्रति नग) क्रीम रोल, पारले, MRP ब्रिटानिया, अन्य बिस्कुट MRP	01/- 5/- 5/- 5/-
11.	छाछ नमकीन / मीठी	15/-15/-
12.	लस्सी	24/-
13.	जूस खुला मोसमी अनार आम पपीता लिची जूस पैकेट 1 लीटर मेंगो जूस पैकेट 1 लीटर पाईनेपल जूस पैकेट 1 लीटर	 25/- 60/- 15/- 15/- 99/- MRP 99/- MRP 99/- MRP
14.	सेव फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा. केला फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा. मोसमी फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा. पपीता फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा.	150/- 25/- 40/- 25/-
15.	वेज पेटिज ऑर्डर पर	10/-
16.	खमन ढ़ोकला ऑर्डर पर (प्रति किलो)	120/-
17.	कलाकन्द	280/-
18.	मावे की मिठाई	300/-
19.	सरस डेयरी के उत्पादक दही 200 ग्राम MRP दूध 500 ग्राम MRP मक्खन 100 ग्राम MRP	 15/- 18/- 37/-
20.	अन्य कोई सामग्री (संलग्न लेटर पेड पर अंकित करें)	

4. निविदा शुल्क की राशि डीडी/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक.............................. राशि 200/- जरिये रसीद संख्यां .... दिनांक........................से जमा करा दिये हैं जो फार्म के साथ संलग्न है।
5. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना अनिवार्य है।
6. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना सं .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा सलंग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की हमारे द्वारा द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
7. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में जनरल कैन्टीन आरम्भ कर दी जावेगी।
8. तरल कैन्टीन का अनुबन्ध 1 वर्ष के लिये विधि मान्य है इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. **बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।**

2. (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाऐं:–

(i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाऐंगी। **बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।**

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:–

(i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरण्डम प्राप्त होना चाहिए।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 0.25 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम

के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

3. <u>सैम्पल(sample)-</u>

(i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ सैम्पल हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित नहीं होने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्टेज पर सैम्पल की मांग की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इस हेतु सूचित करने पर सैम्पल उपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे।

(iii) विभागीय उपापन (procurement)समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जाँच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जाँच कराई जाती है तो जाँच शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जाँच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जाँच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जाँच शुल्क राशि काट ली जाएगी।

4. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) सविदा के सबंध मे फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगा ।

5. **जीएसटी/बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर शोधन प्रमाण–पत्र –**

(i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/बिक्रकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त बिक्री कर शोधन प्रमाण–पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।

6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
8. बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों की दरें पृथक से स्पष्ट करें।
9. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
10. **विधि मान्यताः—** निविदाऐं उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
11. निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा ~~या उप भाड़े पर नहीं~~ देगा।
12. **निरीक्षण एवं परीक्षण** :— प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विर्निदेशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
13. रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
14. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता/ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
15. **परीक्षण प्रभार** :—परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
16. **रद्द करना :—**

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जाऐगी, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

(ii) आपूर्ति किया गया माल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

(iii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी सामानकी तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों मे से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
18. **बोली प्रतिभूति राशि :**

1. बिड सिक्यूरिटी का निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2020 के आधार पर किया जावेगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति हेतु स्टॉम्प घोषणा प्रस्तुत की जायेगी। बोली प्रतिभूति घोषणा स्टॉम्प के बिना बोलियो पर विचार नही किया जायेगा।
2. राजस्थान के सक्षम, लघु एवं मध्यम उधोगो एवं इनसे रूग्ण उधोगों को वित्त विभाग (राजस्थान सरकार) की अधिसूचना दिनांक 19.11.2019 के अनुसार निर्धारित शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर बोली प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छुट प्रदान की जायेगी।

18. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण** –बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जावेगा।

(1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।

(2)जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।

(3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

(4)जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

19. **करार एंव कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–**

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपये 1000/– मूल्य के नॉन ज्सूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार–पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी।

(ii)सामानसम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाईटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक सामानसम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में सामानसम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(iii)यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

(vi)सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर होगी।

(1) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी–

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

(ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।

(iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस/ सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

20. **प्रतिभूति राशि का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा :–

(क)जब संविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख)जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति/सामानसंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग)प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) सामानमें असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

21. **सुपर्दगी अवधि :–**

(i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार कार्य/अनुबंध का आदेश दिया जा सकेगा ।

(ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

22. **परिसमापित नुकसानी** :–परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सामानअवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत ।

(घ) निहति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।

(ड.)यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सामानपूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सामान पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ट) यदि सामानकरने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सामानकी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

23. **वसूली** :–परिनिर्धारित क्षतियॉ कम सप्लाई, टूट फूट या रद्द की गई वस्तुओं/अनुबंध के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

24. प्रदाय किये जाने वाले सामान की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

25. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :– निविदादाता द्वारा आदेशित सामान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा सामान स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी।

26. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, एवं सदस्य सचिव सी.डी.पी.एस.एम. जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

28. वित्तीय बिड में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

29. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
30. सफल बिडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा।
31. सामानसंतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
32. बिड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है।
33. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
34. आईटम्स वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा।
35. भुगतान :–
   (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
   (ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
   (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।
36. **निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–**
   (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।
   (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
   (iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
   (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।
37. किसी भी निविदा/बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
38. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
39 **ब्लेक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।**
40. निविदा प्रणाली RTPP Act – 2012, Rules – 2013 के अनुसार होगी।
41. तंग करने वाली अपीले या परिवादः– जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो राशि बीस लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।
42. **प्रतिभूति निक्षेप/सामानसम्पादन प्रतिभूतिः–** सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 3 प्रतिशत अलग से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्याननूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

43 आवश्यक फर्नीचर संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जायेगें।

45. पानी के 150/– रू0 प्रतिमाह एवं बिजली खर्चे मीटर के अनुसार स्वयं को वहन करना होगा। विधुत कनेक्शन स्वंय (फर्म) द्वारा लिया जायेगा।

46. टेण्डर खुलने पर सालाना राशि 25 प्रतिशत प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में अग्रिम रूप से जमा कराना होगा।

47. समाचार पत्र केन्टीन में मंगाना होगा।

48. गुणवता की शिकायत होने पर एक मौका दिया जायेगा, दूसरी दफा गलती होने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर केन्टीन ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर
(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

एस.आर. प्रारूप—11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

`1Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or ththreatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

  a. have controlling partners/shareholders in common; or
  b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Biddingh Document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

The designation and address of the Second Appellate Authority is.................

(1) **Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Ducument within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluated thae Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to he acceptable.

(2) The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the espiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the Firsst Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(A) Determination of need of procurement ;
(B) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process ;
(C) The decision of whether or not to enter into negotiations ;
(D) Cancellation of a procurement process ;
(E)Applicability of the provisions of confidentiality

(5) **Form of Appeal**

(A) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(C) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(A) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(A) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(B) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(I) hear all the parties to appeal present before him; and

(II) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the

copy of the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause© above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

(See rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No------------of------------

Before the -----------------------------------(First/Second Appellate Authority)

i. A Bid

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Particulars of appellant:
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal
6. Grounds of appeal : (supported by an affidavit)
7. Prayer --

Place--

Date ---

appellant's signature

SSSSAnnexure D : additional conditions of contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

   I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

   II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and

   III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected

2. **Correction of arithmetical errors**

   (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :---

Name :---

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23-12-2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव